कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/16/2024

श्री शिव सिहं पुत्र श्री बलबीर सिहं निवासी नगर निगम के पीछे बड़ा मन्दिर भरतपुर
मो0 नं0 9887690169

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश   दिनांक 01.05.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री शिव सिहं पुत्र श्री बलबीर सिहं निवासी नगर निगम के पीछे बड़ा मन्दिर, भरतपुर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/252 दिनांक 18.04.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के पत्रांक राजस्व/24/191 दिनांक 30.04.2024 से जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि:- ...." प्रार्थी शिव सिहं द्वारा प्रार्थी को जारी मूल निवास प्रमाण के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति चाही गई थी। मूल निवास प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकॉर्ड

1......

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस कार्यालय द्वारा जिला रिकॉर्ड रूम भरतपुर में जमा कराया जा चुका हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(3) के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र जिला रिकॉर्ड रूम में स्थानान्तरित किया जा चुका है। जिसकी सूचना प्रार्थी शिवसिहं को भी दी जा चुकी है।''

उक्तानुसार प्राप्त जवाब से ज्ञात होता है कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड, रिकार्ड रूम भरतपुर में जमा कराया जा चुका है। अतः चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर द्वारा के स्तर पर लम्बित न होकर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है, साथ ही प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर को एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (किशोरी महल) भरतपुर को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजी जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर